भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2096

उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

युक्तिकरण नीति 2020-21 के अंतर्गत बन्द हुए/संविलीन विद्यालय

†2096 डॉ. नामदेव किरसान:

श्री मुरारी लाल मीना:

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूल युक्तिकरण नीति 2020-21 की शुरुआत के बाद से राज्य-वार और वर्ष-वार, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में बन्द हुए/संविलीन किए गए स्कूलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2019 से कार्यरत सरकारी स्कूलों/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/निजी स्कूलों की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने स्कूलों को बन्द किए जाने या संविलीन करने के प्रभाव का कोई आकलन किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या स्कूलों के संविलय के बाद स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, विलय करना/बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है - जो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार हैं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों को निर्धारित क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर प्राथमिक विद्यालयों तक पहुँच प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस मानदंडों के क्षेत्र या सीमाओं को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 में

यह भी अधिदेशित किया गया है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगी और पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में स्कूलों के परिसर/क्लस्टर या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए किसी भी अन्य नवीन तंत्र के विचार का समर्थन किया गया है, ताकि जहां भी संभव हो, स्कूलों को समूहीकृत या युक्तिसंगत बनाया जा सके और पहुंच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर का उद्देश्य क्लस्टर में स्कूलों की अधिक संसाधन दक्षता और अधिक प्रभावी कार्यप्रणाली, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन है।

वर्ष 2019-20 से कार्यरत सरकारी स्कूलों/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों/निजी स्कूलों की राज्यवार और वर्षवार कुल संख्या अनुलग्नक ।में दी गई है।

(घ): वर्ष 2019-20 की राज्यवार और वर्षवार स्कूल छोड़ने की दर अनुलग्नक ॥ में दी गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत स्कूल शिक्षा समग्र रूप से संचालित की जाती है, जिसमें प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक का विभाजन नहीं किया गया है और यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। इस योजना में आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता का प्रावधान है।

इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ अनुकूलित कर दिया गया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

इस योजना के अंतर्गत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, डीओएसईएल की मौजूदा योजना के तालमेल के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास/सुदृढ़ीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी के लिए छात्रावासों का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना, पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म और प्रारंभिक स्तर पर मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाना शामिल

है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु के अनुसार प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/अनुरक्षण सुविधा भी स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए दी जाती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यार्थी उन्मुखी घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री तथा दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण' (पीएम पोषण) के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका सहित प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आरटीई अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे या वार्ड को, जैसा भी मामला हो, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पड़ोस के स्कूल में प्रवेश दिलाएं अथवा दिलवाएं।

*****

अनुलग्नक-I

युक्तिकरण नीति 2020-21 के अंतर्गत बन्द हुए/संविलीन विद्यालय के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. नामदेव किरसान,श्री मुरारी लाल मीना और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2096 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	स्कूलों की कुल संख्या								
	सरकारी			सहायता प्राप्त			निजी		
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	342	342	342	2	2	2	73	73	72
आंध्र प्रदेश	45115	45145	45137	2234	2121	1542	16173	15792	15058
अरुणाचल प्रदेश	3056	3061	2985	65	67	68	493	496	503
असम	47157	46749	45490	5024	4983	3841	6074	6045	5852
बिहार	72610	75555	75558	721	735	742	7630	7923	8097
चंडीगढ़	121	121	123	7	7	7	74	75	76
छत्तीसगढ़	48547	48619	48743	431	430	417	7008	7131	7063
दादरा और नगर हवेली	300	407	388	4	8	8	42	63	63
दमन और दीव	109			4			23		
दिल्ली	2767	2751	2762	250	250	247	2652	2641	2610
गोवा	827	821	814	517	522	557	138	138	139
गुजरात	35040	34967	34699	5688	5640	5590	13898	13834	13559
हरियाणा	14484	14563	14562	17	17	16	8195	8235	8261
हिमाचल प्रदेश	15398	15391	15380	0	0	0	2786	2753	2646
जम्मू और कश्मीर	23165	23167	23173	1	1	1	5585	5649	5526
झारखंड	35931	35888	35840	1173	1175	1175	1522	1542	1559
कर्नाटक	49834	49791	49679	7244	7182	7110	20069	19915	19650
केरल	5014	5020	5010	7193	7191	7183	3282	3241	3164
लद्दाख	913	915	838	29	29	28	112	112	112
लक्षद्वीप	45	45	38	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	99411	99152	92695	790	773	740	31201	31512	30345
महाराष्ट्र	65886	65734	65639	23791	23924	24037	19654	19632	19268
मणिपुर	2876	2878	2889	585	585	583	1015	1027	1010
मेघालय	7799	7795	7783	4180	4176	4172	2198	2179	2120
मिजोरम	2552	2558	2563	231	231	230	1046	1050	1034
नागालैंड	2011	1975	1960	0	0	0	746	743	757
ओडिशा	53260	50256	49072	5839	5844	5807	6375	6393	6104
पुडुचेरी	422	422	422	33	33	33	286	286	281

पंजाब	19377	19330	19259	457	455	450	8623	8893	7978
राजस्थान	67660	68813	68948	0	0	0	36056	36023	34826
सिक्किम	851	851	864	19	19	19	407	393	376
तमिलनाडु	37579	37589	37636	8328	8326	8323	12382	12402	12396
तेलंगाना	30001	30015	30023	702	700	700	11688	12023	12193
त्रिपुरा	4275	4265	4262	45	43	43	352	360	363
उत्तर प्रदेश	137638	137068	137024	8048	8125	8113	93750	96741	97808
उत्तराखंड	16741	16651	16484	617	614	608	5467	5396	5225
पश्चिम बंगाल	83455	83379	83302	93	87	88	10424	10042	9750
भारत	**10,32,569**	**10,32,049**	**10,22,386**	**84,362**	**84,295**	**82,480**	**3,37,499**	**3,40,753**	**3,35,844**
स्रोत: यूडाइज़+									
*2020-21 और 2021 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का एक संघ राज्यक्षेत्र के रूप में विलय हो गया									

अनुलग्नक-II

युक्तिकरण नीति 2020-21 के अंतर्गत बन्द हुए/संविलीन विद्यालय के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. नामदेव किरसान, श्री मुरारी लाल मीना और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2096 के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

स्कूल छोड़ने की दर						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21			2021-22		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.3	0.4	7.0	0.4	1.0	5.0
आंध्र प्रदेश	0.0	0.5	16.7	0.0	1.6	16.3
अरुणाचल प्रदेश	8.1	7.1	10.1	9.3	6.7	11.7
असम	3.3	4.9	30.3	6.0	8.8	20.3
बिहार	0.0	2.8	17.6	0.0	4.6	20.5
चंडीगढ़	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ	0.7	4.1	13.4	0.8	4.1	9.7
दादरा एवं नगर हवेली	3.9	1.7	17.7	0.0	0.0	9.5
दमन और दीव						
दिल्ली	0.0	1.1	6.1	0.0	0.0	4.8
गोवा	1.5	0.7	5.7	0.0	0.0	9.0
गुजरात	1.0	4.5	23.3	0.0	4.9	17.9
हरियाणा	2.1	1.8	10.8	0.0	0.2	5.9
हिमाचल प्रदेश	1.9	1.4	7.6	0.0	0.6	1.5
जम्मू और कश्मीर	4.4	3.4	3.7	4.0	3.0	6.0
झारखंड	3.5	5.4	13.0	1.8	3.9	9.3
कर्नाटक	1.1	2.0	16.6	0.0	1.1	14.6
केरल	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	5.5
लद्दाख	4.1	2.1	3.4	6.5	1.1	4.9
लक्षद्वीप	0.0	0.0	0.0	0.5	2.6	0.0
मध्य प्रदेश	1.3	6.4	23.8	3.1	8.8	10.1
महाराष्ट्र	1.0	1.5	11.2	0.0	1.5	10.7
मणिपुर	8.5	4.0	9.4	13.3	5.6	1.3
मेघालय	7.4	8.9	27.6	9.8	10.6	21.7
मिजोरम	8.1	5.3	20.0	6.3	2.7	11.9
नागालैंड	5.9	4.2	23.6	5.0	4.0	17.5
ओडिशा	0.0	0.0	16.0	0.0	7.3	27.3
पुडुचेरी	0.0	0.0	6.9	3.7	2.4	6.3

पंजाब	0.0	0.0	9.0	1.3	8.0	17.2
राजस्थान	1.0	2.7	8.9	3.6	4.3	7.6
सिक्किम	1.2	0.0	21.6	1.8	0.0	11.9
तमिलनाडु	0.6	0.6	6.4	0.0	0.0	4.5
तेलंगाना	0.0	0.0	13.9	0.0	3.1	13.7
त्रिपुरा	4.2	5.5	26.7	1.1	4.5	8.3
उत्तर प्रदेश	2.2	4.6	12.5	2.7	2.9	9.7
उत्तराखंड	1.7	2.1	8.3	0.8	2.7	5.0
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	13.3	8.6	0.0	18.0
भारत	**0.8**	**2.3**	**14.0**	**1.5**	**3.0**	**12.6**
स्रोत: यूडाइज+						
* 2020-21 और 2021-22 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विलय हो गया है						